न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 99/2007 (उदयपुर डिक्री)

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. देवीलाल पिता नारायण जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. नंदलाल पिता नारायण जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. मगन पिता नारायण जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. सवा पिता नारायण जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. चुन्नीलाल पिता डूंगा जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. शिवराज पिता डूंगा जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. हीराबाई पुत्री डूंगा जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती टाकुबाई पत्नी डूंगा जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. घनश्याम पिता भैरूलाल पौत्र डूंगा जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती केसरबाई पत्नी भैरूलाल जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
11. रामलाल पिता अमरा जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
12. खुमाणी पुत्री अमरा जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (फोत)

13. डायली पुत्री अमरा जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

14. लाला पिता हीरा जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (फोत)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 20.10.2004, प्र. सं. 55/04

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पो॰ सं॰ 2 से

———:::———

निर्णय **दिनांक 09–04–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण द्वारा प्रतिवादी/अपीलान्ट सरकार के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 19 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आयड़ में आराजी नंबर 576 रकबा 0.8900 हैक्टर भूमि स्थित है। यह भूमि मेवाड़ सेटलमेन्ट में वादीगण के पूर्वजों के नाम उनके स्वामित्व व आधिपत्य की थी तथा वादीगण के पूर्वज खातेदार दर्ज थे। उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट आने के पूर्व से वादीगण के पूर्वजों का नाम आसामी की हैसियत से दर्ज थी। वादीगण का नाम गैर खातेदार शिकमी सरकार दर्ज हुआ है, जबकि 10 वर्षो के बाद कोई भी गैर खातेदार स्वतः खातेदार काश्तकार हो जाता है तथा धारा 15 एएए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अनुसार भी वादीगण खातेदार काश्तकार होने से उक्त जमीन अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। वादीगण का कब्जा 50 वर्षो से अधिक समय से बेरोकटोक चला आ रहा है। धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अनुसार भी वादीगण उक्त भूमि के खातेदार हो चुके हैं, परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादीगण के नाम शिकमी की हैसियत से दर्ज है। निवेदन किया कि वादीगण को वाद वर्णित भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे तथा अन्य

विधिक अनुतोष दिलाया जावे। दावे के साथ दफा 80 सी.पी.सी. को नोटिस भी पेश किया गया।

प्रकरण में सरकार की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण खातेदार की हैसियत से दर्ज नहीं हैं तथा शिकमी की हैसियत से खाते में नाम दर्ज है। राजस्व रेकार्ड के इन्द्राज को गलत नहीं कहा जा सकता। वादीगण खातेदार होना स्वयं साबित करावें। वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा के भी अधिकारी नहीं हैं।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में निम्नानुसार 2 तनकियां कायम की :–

1. क्या विवादग्रस्त जमीन वादीगण के नाम रेकार्ड में शिकमी की हैसियत से दर्ज होने से व पुराना कब्जा होने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है ? .....वादीगण
2. क्या वादीगण विवादग्रस्त जमीन के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है ? .....वादीगण

प्रकरण में वादीगण द्वारा पी.डब्ल्यू. 1 देवीलाल, पी.डब्ल्यू. 2 सवा तथा पी.डब्ल्यू. 3 वृद्धिचन्द्र के बयान करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये। सरकार की ओर से सोहनलाल पटवारी के बयान करवाये गये। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 20–10–2004 से वादीगण का वाद डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी सरकार द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 21–05–2007 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील 60 दिवस में प्रस्तुत करनी थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य की रिट पिटीशन का निर्णय करते हुए तालाब पेटे की जमीन के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाने एवं सन् 1947 की स्थिति कायम रखे जाने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देशों की पालना में छानबीन करने पर दिनांक 26–04–2007 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी हुई। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन के खण्डन का जवाब रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 20–10–2004 को अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट की मौजूदगी में निर्णय किया गया था, जिसकी अपील की मयाद 60 दिन है, लेकिन यह अपील करीब 2½ वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अब्दुल रहमान के केस में जो अन्तरिम आदेश दिया गया था वह समाप्त हो चुका है, क्योंकि रिट का अंतिम निस्तारण किया जा चुका है। अन्तरिम आदेश का महत्व रिट के फाईनल निर्णय तक ही होता है, ज्यों ही रिट का अंतिम निर्णय हो जाता है तो अन्तरित आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है तथा शिकमी की भूमि पर धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं। तालाब पेटे की भूमि के भी खातेदार अधिकार दिये जा सकते हैं व ऐसे मामले में वर्ष 1947 की स्थिति कायम नहीं की जा सकती। अपील करीब 2½ वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी है। अतएवं अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अपने कथन के समर्थ न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2014 (2) पेज 1331 (सुप्रिम कोर्ट), आर.आर.टी. 2013 (2) पेज 887 (सुप्रिम कोर्ट), आर.बी.जे. 2014 पेज 623 (हाई कोर्ट), आर.आर.डी. 1995 पेज 64(हाई कोर्ट) एवं सिविल टाईम्स 2010 (2) पेज 543 (हाई कोर्ट) प्रस्तुत की।

→ हमारे द्वारा उक्त दफा 5 जाब्ता मियाद के आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की उपस्थिति में दिनांक 20–10–2004 को निर्णय पारित किया गया है। राजकीय प्रकरणों में मियाद पर सम्यक दृष्टिकोण रखा जाना चाहिए परन्तु इस प्रकरण में अपील करीब 2½ वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत हुई है एवं इसके लिए जो आधार लिये गये हैं वह न तो उचित हैं न ही पर्याप्त। तद्नुसार वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक नजीरों के अनुसार अपील प्रथम दृष्टया मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, दौराने बहस रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 5 की ओर से वकील श्री संजय बोहरा एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याय के विपरीत है। साबिक आराजी नंबर 65/2 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा पेटा गैर मुस्तकिल भूमि संवत् 1987 में सरकार के खातेदारी में अंकित थी एवं शिकमी के कॉलम में वादीगण का नाम अंकित था। अर्थात भूमि तालाब पेटा की होने से मेवाड गर्वनमेन्ट द्वारा अस्थायी काश्त बतौर शिकमी काश्तकारों आसामियों को भूमि काश्त पर दी जाती थी इसलिए उनका अंकन बतौर शिकमी दर्ज किया जाता था। उक्त शिकमी का अंकन अस्थाई काश्तकारी समाप्प होने के बाद स्वतः ही हट जाना चाहिए था, लेकिन सहवन से अंकन रह गया। धारा 16 काश्तकारी अधिनियम में भी तालाब पेटे की भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जाने पर रोक है तथा धारा 19 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान पेटा काश्त की भूमि पर लागू नहीं होते हैं तथा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य के निर्णय अनुसार भी पेटा काश्त की भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा न्यायिक नजीर ए.आई.आरत्र 2003 (सुप्रिम कोर्ट) पेज 160, आर.आर.डी. 1988 पेज 143 (हाई कोर्ट), आर.आर.डी. 1978 पेज 666, आर.आर.डी. 1978 पेज 27, आर.आर.डी. 1989 पेज 651, आर.आर.डी. 2003 पेज 274, आर.आर.डी. 1996 पेज 324, आर.आर.डी. 1999 पेज 553, आर.आर.डी. 2001 पेज 411, आर. आर.टी. 2008 (2) पेज 802 की गयी है, जिनमें शिकमी काश्तकार को धारा 15 एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार खातेदारी अधिकार दिये जाने का विधिक उल्लेख हैं। इस प्रकरण में विवाद सिर्फ किस्म को लेकर है कि आया तालाब पेटा की भूमि में खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं या नहीं। यहां पर तालाब पेटा की भूमि में शिकमी के रूप में आसामी का नाम स्वतंत्र रूप से वाद दायरी

दिनांक तक दर्ज होना प्रकट है। उक्त आसामी का नाम शिकमी के रूप में दर्ज किया जावे अथवा खातेदारी अधिकार दिये जावें इस बाबत् विवेचन किये जाने के सन्दर्भ में अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा पेश शुदा उक्त न्यायिक नजीरें प्रसांगिक हैं।

प्रकरण में जहां तक किस्म को लेकर प्रश्न है, राज्य सरकार को अधिकतम आपत्ति शिकमी भूमि में खातेदारी अधिकारों को लेकर हो सकता है, जिसके लिए सरकार के पास रेफ्रेन्स किये जाने के विधिक प्रावधान हैं, न कि उनके अधिकारियों द्वारा सहायक कलक्टर द्वारा जो वाद डिक्री किया गया है, उसमें मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की जावे। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलान्ट का घोषणात्मक वाद जो डिक्री किया गया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। तद्नुसार अपील गुणावगुण पर पोषणीय नहीं है।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–10–2004 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 09–04–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम **देवीलाल पिता नारायण जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**99 / 2007**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....20**.....माह.....**10**.....**2004**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**09**....माह.....**04**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री पंकज भटनागर**..... मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री संजय बोहरा .....**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–10–2004 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**09**.....माह.....**04**.....**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।